RJPP, Vol. 14, No. 2, 2016
ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

RJPP
REVIEW JOURNAL OF
POLITICAL PHILOSOPHY
A Peer Reviewed International Journal

पंचायतो मे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

डॉ0 वी0पी0 राकेश*
राजनीति विज्ञान विभाग
एन0 ए0 एस0 कॉलिज, मेरठ
&
डॉ0 विनीता गुप्ता**
राजनीति विज्ञान विभाग
कनोहर लाल स्नातकोत्तर
महिला महाविद्यालय, मेरठ

''पॉच पंच मिलिं कीजै काज। हारे जीत न होवे लाज।।''

पाँच व्यक्तियों की सभा एवं पंचायत हमारा बहुत प्राचीन और सुन्दर शब्द है, जिसके साथ प्राचीनता की यह मिठास जुडी हुई हैं। ''पॉच बोले परमेक्ष्वर' –पाचों पंच जब एक साथ से कोई निर्णय देते थे तो वह परमेक्ष्वर की आवाज मानी जाती थी। प्राचीन काल से ही भारत में पंचायतों को असीमित स्वातन्त्रता प्राप्त थी। ग्रामों की पंचायते व संस्थायें 'भारत में सर्वप्रथम प्रारम्भ हुई और संसार के सभी देशों के मुकाबले यहॉ ही सबसे अधिक दिनों तक स्थापित रही।' पॉच पंच ग्राम की जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, जिसके द्वारा भारत के असंख्य ग्राम लोराज्यों का शासन चलता था। भारतीय समाज में 'पंच' परमेक्ष्वर' न केवल कुछ प्रशासकीय कार्य ही करते थे वरन् आपसी विवादों को हल करने एवं विकास सम्बन्धी कार्यो को करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्राचीन इतिहास का यही एकमात्र स्थायी आधार है जिसपर भारत का प्रत्येक साम्राज्य फला–फूला है। पंचायत शब्द हिन्दी भाषा में बहुत समय से प्रयुक्त हो रहा है। संस्कृत में एक 'पंचायतन' शब्द है जिसका व्यवहार देवपूजन में किया जाता है। प्रतीत होता है कि यह पंचायत इसी 'पंचायतन से सम्बन्ध रखता हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं द्वारा की गई खोज के फलस्वरूप जो पुराने ताम्रपत्र इत्यादि प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञान होता है कि भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास शताब्दियों पुराना है। पंचायत उस सभा का नाम है जहॉ पंच इकट्ठे होते हों, किसी विषय पर विचार–विमर्श करते हों या फिर कोई निर्णय करते हों। यदि हम भारतीय इतिहास में प्रजातन्त्र के बीच देखना चाहें, तो हमें इसके बीज ऋग्वेद में प्राप्त होते है। वैदिक ग्रंथ ही ऐसे प्राचीनतम साधन हैं, जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता को समझा जा सकता है। वैदिक काल में ग्राम से लेकर राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व की शासन व्यवस्था पंचायत पद्धति पर आधारित

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

थी। वैदिक काल में भारत के ऋषि–मुनियों ने लोककल्याण की भावना से प्रेरित होकर मानव समाज की सुख–समृद्धि के लिए जिन सिद्धान्तों की प्रतिष्ठापना की थी उन्हीं में से प्रशासन पद्धति की पंचायती तन्त्र भी था। पंचायत व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को है। राजा पृथु वेन के पुत्र थे, जो सर्वप्रथम राजा थे, जिन्होंने धर्मपूर्वक शासन करते हुए प्रजा को प्रसन्न किया जिससे उन्हें राजा कहा जाने लगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंचायत प्रणाली राजा पृथु ने गंगा और यमुना के बीच धरातल में स्थापित की थी। वैदिक काल से ही ग्राम को प्रशासन की मौलिक इकाई माना जाता रहा है। जातक ग्रंथ में भी ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है। डॉ0 सरयूप्रसाद चौबे ने कहा है– ''आर्यो के भारत आने से पूर्व यहॉ ग्राम–पंचायत का पूर्ण विकास हो गया था। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती थी। जिसमें एक मुखिया तथा अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। आर्यो के आगमन के पश्चात् भारतवर्ष में जाति व्यवस्था का पूर्ण विकास हुआ और ग्राम को शासन की प्राथमिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया जिससे सामाजिक व्यवस्था का आगमन हुआ।'' वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय प्रत्येक ग्राम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आत्मानिर्भर तथा सम्पूर्ण इकाई होता था। समिति नाम की एक सार्वजनिक तथा सार्वभौप प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती थी, जिसे पूर्ण स्वायतता प्राप्त थी, जो राजा का निर्वाचन करने में तथा उसके क्रिया कलापों पर नियन्त्रण रखने में सक्षम थी। राजा को सभा, समिति के कार्यो में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। राजा पूर्ण स्वेच्छाचारी नहीं होता था, अपितु समिति जैसी महान् सार्वभौम संस्था से नियन्त्रित रहता था। समिति शब्द साथ–साथ मिलने का अर्थ से निर्मित हुआ है। भारत में प्रत्येक समय प्रत्येक स्तर पर ऐसी समितियों के लक्षण पाए गए। ''समिति (सम+इ+ति) अर्थात् सभी का एक स्थान पर मिलना अथवा इकट्ठा होना।'' राजा का निर्वाचन करते समय समिति व सभी राजा से निवेदन करती थीं कि वह कर्त्तव्य दृढ़ता से पालन करे। वह अपने पद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे और शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करे। (6/86/88) का पूरा सूक्त निम्नवत् हैः ''आ त्वाहार्षमन्त्रभुर्ध्रु वर्स्तिष्ठाविचाचलत्। विश्रवस्तवा सर्वा वाञछन्तु या व्वद् राष्ट्रमधिभ्रशत्।'' हे राजन! तुम प्रसन्नता के साथ हमारे मध्य में आओं, आविचलन होकर अवस्थित हो जाओ। समस्त विशः –प्रजा तुमको चाहती रहें। तुम्हारे राष्ट्र का अकल्याण न हो अथवा तुमसे राष्ट्र को किसी प्रकार हानि न हो।

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में एक तीसरा शब्द प्रबन्ध 'विद्थ' भी अनेक बार आया है जिसका अर्थ साधारणतया 'जत्था' से है। यद्यपि विद्थ शब्द के प्रयोग से संस्था के विषय में कोई मुख्य बात प्रकट नहीं होती, फिर भी सभा और समिति से भलीभॉति प्रकट होता है कि ग्राम का मुखिया 'ग्रामणी' कहलाता था। वह मौरूसी अधिकारी था जो ग्राम के निवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। ग्रामणी का पद बहुत ऊॅचा था, उसकी गिनती राज्य शासन व्यवस्था के मुख्य अधिकारी में होती थी ग्राम का मुखिया ग्राम के अनुभवी श्रेष्ठ व वृद्ध व्यक्तियों से सलाह लेकर कार्य करता था। ग्राम के विशिष्ठ व्यक्ति मिलकर ग्राम में शान्ति व्यवस्था बनाए रखते थे। यही ग्राम–पंचायत का आदि रूप था।

ग्राम पंचायतों के विषय में डॉ0 अल्टेकर ने लिखा है– ''ये ग्राम पंचायतें ग्राम की रक्षाका प्रबन्ध करती थी और राज्य का कर एकत्रित करती थीं तथा नए कर लगाती थी पंचायतो के निम्न कार्य–

1. सार्वजनिक ऋण आदि की सहायता से अकाल तथा संकटों के निवारण का उपाय करती थीं।
2. ग्राम के झगड़ों का फैसला तथा लोकहित की योजनाएँ क्रियान्वित करती थीं।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

3. पाठशालाएँ, अनाथालय तथा विद्यालय चलाती थीं और मन्दिरों में अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य करती थीं।
4. युद्ध करने और सन्धि करने के दो अधिकारों को छोडकर इन्हें राज्य के शेष अधिकार प्राप्त थे।
5. आपस में सद्भाव और सामाजिक एकता अथवा मित्रता बढ़ता आपसी झगडों का निबटारा करना तथा भूमि प्रबन्ध करना इसके मुख्य उद्देश्य थे।
6. ग्राम–पंचायत स्थानीय रक्षा के लिये अपनी पुलिस रखती थी व ग्राम और नगर की सफाई का प्रबन्ध करती थी।
7. पंचायतें छोट–छोटे दीवानी तथा फौजदारी झगडों का निबटारा स्वयं करती थी। इस प्रकार के समस्त कार्य ग्राम की जनता स्वयं कर लेती थी।''

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था और 73वॉ संविधान संशोधन

1. संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम 1947 दिनॉक 07 दिसम्बर 1947 ई0 को गर्वनर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्ठेद– 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अर्न्तगत यह निर्देश दिये गये है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करेंगें। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन पांच करोड चालीस लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारम्भ किया। साथ ही लगभग 8 हजार पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई। सन् 1951–52 में गॉव सभाओं की संख्या बढ़ कर 35,943 तथा पंचायत अदालतों की संख्या गढ़कर 8492 हो गई। 1952 से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना आरम्भ किया। इस वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किये गये। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। 1952–53 में जमीदारी विनाश के पश्चात् गॉव समाज की स्थापना हुई और गॉव सभाओं के अधिकार बढाये गये।

2. 1953–54 में पंचायतों की सक्रियता एंव विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधान सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायतीराज संशोधन विधेयक तैयार किया गया जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। 1955 में पंचायतो का दूसरा आम चुनाव सम्पन्न हुआ। जिसमें गॉव सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर में ग्राम में ग्राम सभा संगठित करते हुए दुसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 72425 हो गई। 1957–1958 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 7245 के स्थान पर 72409 ही रह गई।जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 8585 थी। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालत का न्याय पंचायत नामकरण किया गया।

3. वर्ष 1960–61 में ग्रामों को आत्मनिर्भर तथा सम्पन्न बनाने के उद्धेश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उपसमितियों का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया गया। सभा के प्रधान का

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किये जाने का निश्चय हुआ। श्री बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 ई0 को क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के प्रख्यान के साथ ही प्रदेश में (ग्राम सभी, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद) त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था प्रभावी की गयी।

4. वर्ष 1972–73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव सम्पन्न हुए। उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72834 और पंचायतों की संख्या 8792 थी। इस चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

5. वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुआ। 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई, कि गॉव पंचायतों के सदस्य पदों पर 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए, साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये। इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73927 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8814 थी, जिसमें महिला प्रधानों की संख्या 930 तथा महिला सदस्यों की संख्या 1,50,577 थी, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों की संख्या 65937 थी। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरूषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया।

6. भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुच्छेद–40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हुए यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसा शक्तियॉ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें, एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हे, सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वॉ संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया जो बाद में 73वॉ संविधान संशाधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण देशों में लागू हुआ। 73 वें संविधान के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत हुआ जिसमें संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में एकरूपता लाते हुए निम्नखिति व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

1. पंचायतों का संगठन और संरचना
2. अनुसूचित जातिःअनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओ के लिए आरक्षण
3. पंचायतों का नियमित कार्यकाल,
4. पंचायतों के कृत्य, शक्तियॉ और उत्तरदायित्व का विस्तार
5. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन
6. राज्य वित्त आयोग की स्थापना

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यथासम्भव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायतीराज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदो एवं सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (27 प्रतिशत से अनधिक) एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए एक तिहाई अन्यून पदों एवं स्सथानो पर आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो एवं वह उसे पूरा कर सकें। संविधान एवं राज्य के पंचायत राज अधिनियमों के किये गये प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना दिनॉक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वां संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाते हैं।

7. नई पंचायतीराज व्यवस्था के अनुसार एक हजार की जनसंख्या पर किसी ग्राम या ग्राम समूह के क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित करते हुए ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन की मैदान जिलों में ग्राम पंचायतों का सातवां आम निर्वाचन अप्रैल 1995 में सम्पन्न हुआ तथा पर्वतीय जिलों में अक्टूबर, 1996 से माह दिसम्बर 1996 में सम्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभाओं का पुनर्गठन कर 52,125, मैदानी जिलों में तथा 6495 उत्तराखण्ड मे कुल 58620 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लिए 12526 पिछडे वर्ग के लिए 15853 प्रधानों के पद तथा उक्त में सभी वर्गो की महिलाओं के लिए कुल 19522 प्रधानों के पद आरक्षित किये गये थे।

8. वर्ष 2000 में त्रिस्तरीय पंचायतों का दूसरा सामान्य निर्वाचन (प्रारम्भ से आठवॉ) जून 2000 से अगस्त 2000 में सम्पन्न हुआ। तत्समय प्रदेश में 52010 ग्राम पचायतें, 818 क्षेत्र तथा 70 जिला पंचायत स्थापित थी।

9. वर्ष 2005 में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रारम्भ से नवम् एवं 73 वां संविधान संशोधन के उपरान्त तीसरा समान्य निर्वाचन जून 2005 से अक्टूबर 2005 में सम्पन्न हुआ। तत्समय प्रदेश में 52000 ग्राम पंचायतें, 820 क्षेत्र पंचायते तथा 70 जिला पचायतें संगठित की गई।

10. वर्ष 2010 में दसवें सामान्य पंचायत निर्वाचन सम्पन्न हो गए है। प्रदेश पंचायते 821 क्षेत्र पंचायते संगठित कर ली गई हैं।

11. वर्ष 2015 में ग्यारहवी सामान्य पंचायत चुनाव समाप्त हो गए है।

संवैधानिक संशोधन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएः

संविधान (73वॉ संशोधन) अधिनियम, 1992 के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा अपने विद्यमान पंचायत अधिनियमों को या तो बदलकर नया अधिनियम का रूप दिण गया अथवा उसमें यथा आवश्यक परिवर्तन कर नया संशोधित रूप दिया गया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रूप में प्रवृत्त दोनों अधिनियमों में वृहद स्तर पर संशोधन किये गये। नवीन पंचायती राज व्यवस्था के रूप में संवैधानिक संशोधनों को अंगीकृत कर लेने के पश्चात् पंचायती राज अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो गया। इसके फलस्वरूप पंचायतों का शक्ति संवर्द्धन हो गया है। इसमें सबसे बडी बात यह

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

हुई कि समाज का उच्च वर्ग, कमजोर वर्ग, के व्यक्तियों को विकास का लाभ उठाने से वंचित न कर सकेगा, क्योंकि अब कमजोर वर्ग को स्थानीय निकायों में आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिल चुका है। उनका आरक्षण पूर्व की भॉति न होकर संवैधानिक संरक्षण के अन्तर्गत है। उत्तर प्रदेश में नई पंचायती राज व्यवस्था की निम्न विशिष्टतायें हैः

- ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए उसके गठन की व्यवस्था यथासम्भव एक हजार की जनसंख्या पर की जायेगी। ग्राम पंचायतों के लिए अब मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन में तैयार की जायेगी।
- ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रति पॉच वर्ष कें अंतराल पर कराने का दायित्व राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है। इस कार्यकाल के पूर्व ही अगले कार्यकाल के लिए निर्वाचन पूर्ण कराये जाने होगें।
- ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सदस्यों का चुनाव सीधे ग्राम के वयस्क मताधिकार द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया तथा चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष कर दी गई।
- क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत पर सदस्यों का चुनाव पहली बार सीधे जनता द्वारा किया जायेगा। इनमें कोई भी अनुमोलित अथवा नामित सदस्य नही ं होगा।
- समस्त ग्राम प्रधानों एवं प्रमुखों को क्रमशः क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान।
- तीनों स्तर की पंचायतों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान।
- प्रधानों, प्रमुखों, अध्यक्षों एवं सदस्य के लिये मानदेय एवं भत्ते का प्रावधान।

पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये कर व फीस आदि लगाने के आधार को और भी व्यापक बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा आधिकृत किये जाने पर ग्राम पंचायत ऐसा कोई भी कर लगा सकता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–277 के अंतर्गत राज्य का विधानमण्डल लगा सकता है। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रति पॉच वर्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रविधान किया गया है।

प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का संगठनिक ढ़ाचाः

क) सामान्यः – नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत संबंधित कार्यो के नियंत्रण एवं निर्देशन तथा कार्यान्वयन के लिये राज्य मुख्यालय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक एक सशक्त एवं सुदृढ़ संगठन विकसित किया गया है, वर्तमान में निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी (मुख्यालय), जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) तथा प्रकाशन अधिकारी के एक–एक पद स्वीकृत हैं और ये समस्त अधिकारी निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के सामान्य निंयत्रण में विभागीय कार्यो का सम्पादन करते हैं।

मण्डल स्तर पर मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) के 18 पद स्वीकृत है। जिला स्तर पर 71 जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यरत है। जिला पंचायत राज अधिकारी के अधीन पंचायत उद्योगों के तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियत्रंण के लिये सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के अधिकारी (प्राविधिक) के कुल 54

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

पद स्वीकृत है। पंचायत उद्योगों के व्यवसाय का कार्य करने के लिये पंचायत निरीक्षक के 19 पद स्वीकृत है। प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में एक–एक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यरत है। इनके कुल 809 पद स्वीकृत हैं, जिसमें पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के 19 पद सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव के रूप में तथा विकास योजनाओं का कार्य करने के लिये ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत है। पंचायती राज विकास में सम्प्रति 8135 ग्राम पंचायत अधिकारी के पद स्वीकृत है।

ग्राम, विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय पंचायतें एवं उनका पारस्परिक संबंधः

सदियों से पंचायते ग्रामीण व्यवस्था का अभिन्न अंग रही हैं। इनका कार्य क्षेत्र ग्रामों तक ही सीमित रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1909 में शाही विकेन्द्रीकरण आयोग द्वारा कार्यरत स्थानीय एवं जिला बोर्डो की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया था कि इन बोर्डो की असफलता के दो कारण हैं। प्रथमतः जिला बोर्डों को यथाआवश्यक अधिकार नहीं प्रदत्त किये गए हैं, द्वितीयतः इनमें अल्पसंख्याकों, बड़े कृषकों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। कुलीन परिवारों की इनके प्रति उदासीनता बताई गई। इन कमियों की पूर्ति द्वारा बोर्डो के वास्तविक निर्वाचक मण्डल का सृजन किया जाय। ब्रिटिश सरकार द्वारा शाही आयोग की संस्तृतिों के आधार पर वर्ष 1915 एवं तदुपरान्त 1918 में जिला बोर्डो को सशक्त बनाने हुेत प्रस्ताव लाए गये, जिनके अनुसार ग्रामों में पंचायतो ंका पुनर्जीवीकरण करते हुए स्थानीय स्वायत्तशासन के जिले निर्वाचक मण्डल विस्तारित किया जाना था। इसी क्रम में वर्ष 1922 में संयुक्त प्रांत डिस्ट्रिक बोर्ड एक्ट 1922 बनाया गया। इसमें ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व भी रखा गया, किन्तु सदस्य निर्वाचित न होकर वरन् जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इस प्रकार ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायतों एवं जिला बोर्डो का अन्तर्सम्बन्ध स्थापित हो चुका था।

वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कें अन्तर्गत स्थापित विकास खण्डों के रूप में ग्राम पंचायती एंव जिला बोर्डो के बीच एक मध्यस्तरीय इकाई क्षेत्र समिति भी प्रचलन में आई।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक जन–सहभागिता जागृत करने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1958 में उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, 1958 बना, जिससे बलवंतराय मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था आकार ले सकी। वर्ष 1961 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप में लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 274(1) एवं 274(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमशः संयुक्त प्रांत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट 1922 एवं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम 1958 निरस्स्त कर दिए गए। वर्तमान में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था संचालित की जजा रही है। योजनागत विकास के अनुक्रम में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और भी सशक्त होकर उभरी।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत अधिकारों एंव शक्तियों का हस्तान्तरण दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारी कार्यों के शीध्र दक्षतापूर्ण निस्तारण के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकरों एवं शक्तियों का अस्थायी रूप से विवेकानुसार हस्तान्तरण करता है। दूसरी प्रक्रिया में सरकार की एक इकाई से दूसरी इकाई के प्राधिकार एवं सत्ता के हस्तान्तरण का माध्यम विधान अथवा संविधान बनता

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

है। विकेन्द्रित प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को ग्रामीण विकास का कार्यदायित्व हस्तान्तरित किया गया है। इस हस्तान्तरण की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतें सबसे नीचे स्तर, क्षेत्र पंचायत मध्यस्तर पर तथा जिला पंचायत शीर्ष स्तर पर कार्य करती हैं। इन तीनों स्तर की पंचायतों के लिये बनाए गए दोनों अधिनियम एक दूसरे के पूरक हैं। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की कई धाराओं को क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की कतिपय धारायें ग्राम पंचायत के हित में प्रयुक्त की जाती हैं। इनका विवरण तालिका में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम1961 की विभिन्न धाराओं के माध्यम से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का सम्बन्ध।

अ) जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत

क्र0सं0	धारा	अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य
1	34(1)	अपने किन्हीं अधिकारों या कत्यों को जिले के भीतर किसी ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिनिहित करना या इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार को वापस लेना।
2	35(1)	ग्राम पंचायत के संबंध में अधिकार का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना।
3	35(2)	जिले की किसी ग्राम पंचायत से अपेक्षा करना कि वह अपनी कार्यवाहियों में से किसी का समन्वय क्षेत्र पंचायत की उसी प्रकार की कार्यवाहियों से करें।
4	36(क)	कोई कर अथवा उप–शुल्क आरोपित करने के किसी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अनुमोदित करना और उसे स्वीकृत करना तथा किसी ग्राम पंचायत के निमित उपविधियॉ बनाना और उन्हें स्वीकृत करना।
5	122	कर की वसूली ग्राम पंचायत को सौंपना।
6	141	ग्राम पंचायत की निधियों में अशदान देना।

ब) जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतः

क्र0सं0	धारा	अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य
1	34(2)	किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को क्षेत्र पंचायत को देना या वापस लेना।
2	48(2)	सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने पर क्षेत्र पंचायत में नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के संबंध में जिला संवर्ग संघटित करना।
3	48(3)	प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना।
4	115(2)	क्षेत्र पंचायत के बजट को नियोजन समिति के समक्ष रखना। यह अधिकार अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा।
5	115(3)	बजट के बारे में क्षेत्र पंचायत एवं नियोजन समिति के बीच मतभेद पर निर्णय करना।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

उपरोक्त के अतिरिक्त कई ऐसे बिन्दु हैं, जिनसे तीन स्तर की पंचायतों के घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्धों का परिचय मिलता है। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की कई धाराओं के अन्तर्गत कृत्यों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अथवा उनके अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। इनकी पारस्परिक सम्बद्धता का परिचय निम्न बिन्दुओं से भी मिलता है।

- क्षेत्र पंचायत की सीमा में अवस्थित सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे। इसी प्रकार सभी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख जिला पंचायत के सदस्य होंगे और दोनों ही स्तरों पर इन्हें वोट (क्षेत्र प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन को छोडकर) देने का प्राधिकार भी प्राप्त है।
- दो या अधिक ग्राम पंचायतों के बीच और इसी प्रकार दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों मे संयुक्त कार्य निष्पादन के अथवा किसी विवाद का निपटारा भी क्रमशः क्षेत्र पंचायते तथा जिला पंचायते करेगी।
- ग्राम पंचायत/क्षेत्र स्तर पर की जाने वाली योजना संरचना को अपने से ऊपर की पंचायत को स्वीकृत के लिये भेजा जायेगा। योजनाओं के लिये वित्तीय मार्ग में भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- ग्राम पंचायत के कार्यो का कार्यान्वयन स्तर पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा किया जा सकता है।
- विभिन्न विभागों के जो कार्य इन पंचायतों को हस्तांतरित किए गये हैं, उनमें 'प्रिसपिल ऑफ सब्सिडैरिटी' कार्य करता है, अर्थात जो कार्य जिस स्तर का है, उसी स्तर पर किया जाना चाहिये।

विभिन्न स्तरीय पंचायतों में कार्यो का वर्गीकरणः

क) स्थानीय स्वशासन

क्र0सं0	ग्राम स्तरीय	क्षेत्र/जिला स्तरीय
1	ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य आयोजित करायें।	पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के विषय में पूर्ण जानकारी रखें और समय–समय पर अपने निम्न स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियो को देते रहें।
2	इन बैठकों में अधिकतम सदस्यों, विशेषकर महिला एवएं निर्बल वर्गीय, की उपस्थिति सुनिश्चित करे।	ग्राम पंचायतों की बैठकों के सही प्रकार आयोजित किए जाने के लिए मार्ग निर्देशन दे।
3	सदस्यों को सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित करें।	ग्राम विकास की परियोजनायें बनाने में पंचायत प्रतिनिधियों का मार्ग निर्देशन करें।
4	ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।	दो या अधिक ग्राम पंचायतों के सामूहिक कार्यों के निष्पादन एवं विवादों के निपटाने में अपना सक्रिय योगदान करें।
5	ग्राम की समस्याओं की पहचान सामूहिक रूप से करें।	ग्रामीण परियोजनाओं के लिये वांधित धनराशि शीघ्र वाछित आवंटित कराने का प्रयास करें।
6	विभिन्न कार्यक्रमों एवं सुविधाओं के लिये	पंचायत के प्रतिनिधियों, विशेषतथा महिला एवं निर्बल

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

	पात्र व्यक्तियों का ही चयन करें।	वर्गीय को उनके सामाजिक, कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाने रहें।
7	पंचायत राज अधिनियम के तहत अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें व दूसरों को जानकारी दें।	ग्राम पंचायतों को उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग करें तथा उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी करते रहें।
8	ग्राम के विकास के लिये ठोस कार्यक्रम बनाए और उनमें प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर कार्यान्वित कराएं।	
9	ग्राम की सम्पत्ति की रक्षा करें।	
10	ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोत बढ़ाने का प्रयास करें।	
11	पंचायत की छः समितियों को अपने कार्यदायित्वों के निर्वाह के लिए प्रेरित करते रहें।	

ख) पेयजल एवं स्वच्छताः

क्र0सं0	ग्राम स्तर पर	क्षेत्र/जिला स्तर पर
1	ग्राम में उपलब्ध पानी के स्त्रातों का अभिज्ञान कर बंद हो गए स्त्रोतों को पुनजीर्वित करें।	ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को इस नग्न सत्य से अवगत करा दिया जाए कि पानी के केवल अंधाधुंध दोहन करते रहने से जलस्त्रोत सूख जायेंगे, इसीलिए उन्हें भूजल स्रोत को बढ़ाने रहने के उपाय बताकर उसमें ग्राम पंचायत एवं सामान्य ग्रामीण का योगदान सुनिश्चित करें।
2	भूगर्भीय जल की सतह को लगातार नीचे गिरने से बचाने के लिये तालाबों का पुनर्निमाण कर उनका अनुरक्षण किया जाय तथा ग्राम पंचायते सामाजिक वानिकी अपनायें।	ग्रामों में विद्यमान जलस्रोतों के समुचित अभिज्ञान के बाद ही हैंडपम्प लगवाये जायें।
3	ग्रामीणों को पानी की बरबादी न करने के लिए प्रेरित किया जाय तथा भूजल की आपूर्ति बढानें के लिये उन्हें उपाय बताकर उसमें अपना योगदान करने के लिये प्रेरित किया जाय।	हैंडपम्प के रख–रखाब व मरम्मत का अनुश्रवण किया जाय। क्षेत्र में हैंडपम्प मरम्मत मिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विकास खण्ड पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाय।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

4	ग्रामों में आवश्यक स्थानों पर ही हैंडपम्प लगाए जाएं। खराब हो जाने वाले हैण्डपम्पों की मरम्मत के लिए ग्राम के कुछ लोगों को प्रशिक्षित कराया जाय।	स्वच्छता एवं सफाई पर ग्राम स्तर पर नियमित रूप से अभियान आयोजित करें।
5	सभी हैडपम्पों के चारों तरफ पक्की फर्श व पानी निकास के लिए नाली बनवाई जाय। नहाने व कपड़ा धोने के लिए अलग से चबूतरे बनवाए जॉए।	व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित किया जाय।
6	कुंओ के पानी की शुद्धता के लिये उनमें नियमित अन्तराल पर ब्लीचिंग पाउडर डलवाया जाय। पाईप्ड वाटर सप्लाई की स्थिति में क्लोरिनेसन प्लांट का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।	

ग) प्राथमिक शिक्षाः

क्र0सं0	ग्राम स्तरीय	क्षेत्र/जिला स्तरीय
1	स्कूल जाने योग्य बच्चों के सही अभिज्ञापन हेतु प्राथमिक शिक्षकों का सहयोग किया जाय।	ऐसे ग्रामों की पहचान करें, जहॉ स्कूल नहीं है या दूर है।
2	यह सुनिश्चित किया जाय कि स्कूल जाने योग्य सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिये माता–पिता को प्रेरित किया जाय।	स्कूल की स्थिति का ऑकलन करें और आवश्यकतानुसार नयें भवन का निर्माण, मरम्मत निर्धारित मानकों के आधार पर कराएं।
3	यह भी प्रयास किया जाय कि ग्राम में आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा शिशु देख–रेख शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) होने की अवस्था में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनमें जाते हैं।	स्कूलों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराते रहें तथा बच्चों व अध्यापकों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण कराते रहकर शिक्षा का उच्च स्तर सुनिश्चित करें।
4	यह सुनिश्चित किया जाय कि नवनिर्मित स्कूल भवन ठीक प्रकार से बनाया गया है। इनमें शौचालय एवं हैण्डपम्प की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।	विद्यार्थी अध्यापक अनुपात देखकर अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
5	स्कूल भवन को ग्रामीण विद्या मंदिर मानकर साफ–सुन्दर रखने में अपना	ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व निर्वाह के लिये अभिप्रेरित करते रहें।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

	योगदान दें।	
6	ग्राम शिक्षा समिति अपने अन्य दायित्वों का निर्वाह करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अध्यापकों एवं बच्चों की उपस्थिति नियमित है तथा पढाई सुचारू रूप से चल रही है।	समय–समय पर बच्चों के बीच में छोडने के कारणों का मूल्यांकन कराकर निदान प्रस्तुतः करने का प्रयास करें।
7	मानक आधार पर स्कूल न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत इसके लिए उच्चधिकारियों से अपील करें।	स्कूलों में प्रर्याप्त शिक्षण सामग्री एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
8		विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का सही प्रकार वितरण सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परतापुर क्षेत्र के डुगरावली गॉव ने 25 उत्तरदाताओं के एक अनुसूची द्वारा विचार लेकर किया गया है प्रस्तुत अध्ययन में आकड़े एकत्रित करने के लिये साक्षात्कार प्रणाली को अपनाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आयु, लिग, जाति शिक्षा और व्यवसाय को चर के रूप में प्रयोग किया गया है जिसमें अलग–अलग स्तरो पर बाटकर तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

आयु वर्ग के अनुसार

आयु का स्तर	संख्या	प्रतिशत
18–39	20	80
40–61	05	20
योग	25	100

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट से होता है कि कुल न्यादर्श 18–39 में 80प्रतिशत व्यक्ति शामिल है और 40–61 आयु वर्ग में 20 प्रतिशत व्यक्ति शामिल है इससे स्पष्ट होता है कि अधिक आयु 18–39 आयु वर्ग वालो की संख्या 80 प्रतिशत हैं।

लिंग के अनुसार

लिंग का स्तर	संख्या	प्रतिशत
महिला	14	56
पुरूष	11	44
योग	25	100

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट से होता है कि कुल न्यादर्श 56% महिला वर्ग में शामिल है 44% पुरूष वर्ग में शामिल है

जाति के अनुसार

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

जाति का स्तर	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	—	—
पिछडी जाति	01	04
अनुसूचित जन जाति	24	96
योग	25	100

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट से होता है कि कुल न्यादर्श 96% अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है और 4% पिछडी जाति वर्ग में शामिल है

शिक्षा वर्ग के अनुसार

शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
हाईस्कूल	4	12
इण्टर	8	32
स्नातक	7	28
परास्नातक	6	24
योग	25	100

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट से होता है कि कुल न्यादर्श 12% हाईस्कूल स्तर, 32% इण्टर शिक्षा वर्ग के और 28% स्नातक वर्ग के और 24% परास्नातक वर्ग में शामिल है

व्यवसाय के अनुसार

व्यवसाय का स्तर	संख्या	प्रतिशत
नौकरी	3	12
व्यापार	3	12
विद्यार्थी	14	56
गृहणी	5	20
योग	25	100

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट से होता है कि कुल न्यादर्श 12% नौकरी व्यवसाय 12% व्यापार व्यवसाय में वर्ग में शामिल है और 56% विद्यार्थी वर्ग में गृहणी में 20% वर्ग में शामिल है इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 56% विद्यार्थी में शामिल है।

आय के अनुसार

आय का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1000—5000	—	—
6000—10000	2	8
11000—15000	4	16
अवैतनिक	19	76

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

योग	25	100

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट से होता है कि कुल न्यादर्श 8 1–5000 आय वर्ग के और 16 6–10000 आय वर्ग में 76 11–15000 आय वर्ग के स्तर में शामिल है इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 76 अवैतनिक में शामिल है।

1. क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए।

हॉ	25	100%
नही	–	–
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% हॉ वर्ग में शामिल है इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 100% हॉ में शामिल है।

2. क्या एक महिला ग्राम प्रधान के रूप में ठीक प्रकार से कार्य करती है।

हॉ	25	100%
नही	–	–
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% हॉ वर्ग में शामिल है इससे स्पष्ट होता है 100% उत्तरदाता मानते है कि महिला ग्राम प्रधान के रूप में ठीक से कार्य करती है।

3. क्या प्रधानपति महिला के अधिकारों का प्रयोग करते है।

हॉ	25	100%
नही	–	–
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% हॉ वर्ग में शामिल है इससे स्पष्ट होता है कि सभी यही मानते है कि महिला प्रधान का पति उसके अधिकारों का प्रयोग करते है।

4. आप महिला प्रधान को वोट देगे या पुरूष प्रधान को?

हॉ	11	44%
नही	14	56%
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 44% महिला प्रधान का और 56% पुरूष प्रधान को वोट देना चाहते है।

5. क्या महिलाओं को पंचायतों में मिला हुआ 33% आरक्षण ठीक है?

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

हॉ	11	44%
नही	14	56%
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 44% हॉ में शामिल है 56% नहीं में शामिल है इससे स्पष्ट होता है कि 56% महिला आरक्षण के पक्ष नही है।

6. क्या महिला प्रधान को शिक्षित होना आवश्यक है?

हॉ	25	100%
नही	—	—
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% हॉ वर्ग में शामिल है इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 100% मानते है कि महिला प्रधान शिक्षित होनी चाहिए।

7. क्या महिलाओं को राजनीतिक समक्ष होती है?

हॉ		
नही	25	100%
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% नही वर्ग में शामिल है ?

8. क्या आपको पता है कि आपके ब्लॉक में कितनी महिला प्रधान है।

हॉ		
नही	25	100%
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% नही में शामिल है इससे स्पष्ट होता है महिलायें या ग्रामीण जनता अपने नजदीक की राजनीतिक गतिविधियो बारे में नही जानते।

9. क्या पंचायतों में महिलाओं को मिला हुआ आरक्षण घटना चाहिए।

हॉ		
नही	25	100%
योग	25	100%

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% नही वर्ग में शामिल है इससे स्पष्ट होता है महिला आरक्षण को कोई भी समाप्त नही कराना चाहता।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

10. क्या आप मानते है कि एक महिला पुरूष से अधिक जिम्मेदारी से कार्य करती है?

हॉ	25	100%
नही		
योग	25	100%

11. उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कुल न्यादर्श 100% हॉ वर्ग में शामिल है इससे स्पष्ट होता है 100% उत्तरदाता मानते है कि महिलाये अधिक जिम्मेदारी से कार्य करती है।

प्राचीन काल से ही महिलाएँ ने राज कार्य में भाग लिया है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की भाति ही पंचायत और पंचायती राज की अतीत काल से ही एक गौरवशाली परम्परा रही है। वैदिक काल में हमें सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा में कुलीन अर्थात विशिष्ट वर्ग ही भाग लेता था जबकि समिति में सम्पूर्ण नागरिक भाग लेते थे। इसमें स्त्री एवं पुरूष दोनों समान रूप से भाग लेते थे। दोनो को समान राजनीतिक अधिकार थे। प्लेटो भी अपनी पुस्तक रिपब्लिक राजनीति में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है अर्थात इस समय महिलाएं राज कार्यो में भाग लेती थी।

हमारी जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का है किन्तु उनकी राजनीतिक भागेदारी पुरूषों की उपेक्षा बहुत कम है। अनेक सामाजिक, आर्थिक कारण है जिनके कारण महिलाएं राजनीति में सक्रिया भाग नहीं ले पा रही है। एक प्रजातांत्रिक देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि उनकी आबादी केवल रसोईघर तक ही सीमित है। जब तक महिलायें राजनीति में सक्रिय भाग नही लेती तब तक भारत का विकास सम्भव नहीं है। इसे ही देखते हुए 73वॉ और 74वॉ संविधान संशोधन 1992 में लाया गया और महिलाओं को 1/3 का आरक्षण दे कर सशक्त बनाया गया। 73वे एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागेदारी में जबरदस्त परिवर्तन आया। उनमें निर्णय लेने एवं नेतृत्व के गुणों का विकास हुआ। वर्तमान में केवल उत्तर प्रदेश मे 44 प्रतिशत महिला प्रधान है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिए गए है। 33 प्रतिशत आरक्षण के बाद महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़ी तो है कि महिलाओं की स्थिति में महत्त्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए। बहुत सी महिलाओ के चुने जाने के बाद भी उनके विचारों को गम्भीरता से नहीं लिया जाता विचारों को अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि वे महिलाएँ है।

महिलाएँ प्रधान चुने जाने के बाद भी प्रधानपति ही पंचायत कार्यो में छाये रहते है। अतः जरूरत इस बात की है कि महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। अपने कार्यभार को स्वंय वहन करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिला करण लाया जाये। महिला सशक्तिकरण के विषय में संयुक्त राष्ट्र संद्य ने भी कदम उठाय है। एक प्रस्ताव लाया गया जो 3 सितम्बर 1981 से अस्तित्व में आया। आज भी महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है। उन्हें 33 प्रतिशत का आरक्षण तो दे दिया गया है किन्तु इसका ठीक रूप से कार्यान्त्यन नहीं हो पा रहा है। आज महिलाएं प्रधान तो है किन्तु उनका समस्त कार्य उनके प्रधान पति ही करते है वे केवल एक रबड की मोहर का कार्य कर रही है प्रधान प्रति जैसे जाहते है वैसा ही करती है और प्रजातन्त्र तभी सफल हो सकता है जब सभी नागरिक जागरूक हो महिला आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सशक्त रूप से जागृत हो तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी में पंचायतों में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में पता चला कि 73 वे संविधान संशोधन जिसके द्वारा पंचायतों को संर्वेधानिक दर्जा दिया गया एवं महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया किन्तु फिर भी महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी संतोषजनक नही हैं अकेले उत्तर प्रदेश राज्य मे केवल कुल संख्या का 44% ही महिला प्रधान है अतः यह आंकडा संतोषजनक नहीं है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सुधार आएं इसके लिए निम्न सुझााव है–

1. सर्वप्रथम लैंगिक समानता स्थापित की जाए।
2. महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।
3. महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाएँ, उन्हें प्रेरित किया जाएँ।
4. समय–समय पर सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जाएँ।
5. महिलाओं को उनके सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।
6. समय–समय महिला प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाएँ।

उपरोक्त क्षेत्र अध्ययन से यह परिणाम सामने आता है कि महिला को सशक्त बनाने के जिये केवल कानून बनाना ही काफी नही है बल्कि पहली आवश्यकता महिला को शिक्षित करना है क्योकि क्षेत्र, अध्ययन में उत्तरदाता महिला में राजनीतिक समझ कम मानते है यह तभी पूर्ण हो सकता है जब महिला शिक्षित हो एवं सोच समझकर निर्णय लें। महिला आरक्षण का उद्धेश्य नमी पूरा होगा जिसमें पुरूष उसका लाभ न ले सके। वरन् वह स्वंय अपने निर्णय ले एवं स्वाबलम्बी बने।

सन्दर्भ सूची

1. *डॉ0 के0 के0 मिश्रा* — *'भारत में पंचायती राज' कालेज बुक डिपो, जयपुर 2009*
2. *डॉ0 अरूण कुमार श्रीवास्तव* — *'भारत में पचायती राज' आर0बी0एस0 ए0 पब्लिशस जयपुर 1994*
3. *डॉ0 महेन्द्र कुमार मिश्रा* — *'पंचायती राज संस्थाये, अतीत वर्तमान और भविष्य, कल्पना प्रकाशन दिल्ली 2010*
4. *डॉ0 राजकुमारी सुराणा* — *'भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायती राज' राज पब्लिशिग कम्पनी, हाउस जयपुर 2000*
5. *डॉ0 मीनाक्षी पवार* — *'पंचायती राज और ग्रामीण विकास, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली 2004*
6. *मुन्नी पंडलिया* — *'भारत में पंचायती राज व्यवस्था', अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली 2009*
7. *Anirban Kashyap* — *'Panchayati Raj views of fonnding fathers and recommendations of deffernt commettes, Lancer books New Delhi 1989.*
8. *P Manni Kyamba* — *'Women in Panchayati Raj Structure, Gain Publishing house, New Delhi 1989*

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

पत्र पत्रिकाये

1. *प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2012*
2. *ग्राम पंचायत सन्दर्भ साहित्य पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश*

Website

1. *www.parchayantraj*
2. *www.panchayatrajdepartemntup*
3. *www.panchayatrajroleofwoman*
4. *www.panchayatrajdepartmentstategovernment*
5. *www.roleofwomaninpanchayat*